सीएम फेलोशिप स्कीम के लंबित आवेदनों को तुरंत निपटाने के निर्देश

विशेष

■ श्रेयसी मिश्रा

- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने महीनों से फाइलें अटकाने वाले गाइड, विभागाध्यक्षों के साथ विश्वविद्यालयों की सूची जारी की
- अफसरों व प्रोफेसर्स के चक्कर में विवि में अटके हैं दर्जनभर आवेदन, रांची विवि में सर्वाधिक फेलोशिप आवेदन लंबित

रांची। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद) ने 'सीएम फेलोशिप स्कीम फॉम एकेडेमिक एक्सीलेंस' के तहत शोधार्थियों को मिलनेवाली फेलोशिप में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। परिषद के कार्यपालक निदेशक सुधीर बाड़ा ने राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों और सरला बिरला विश्वविद्यालय, रांची को को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि शोध कार्यों से संबंधित महीनों से लंबित आवेदनों का अविलंब निपटारा किया जाए।

विभाग ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि योग्य शोधार्थियों के आवेदन विश्वविद्यालयों के विभिन्न स्तरों- गाइड/सुपरवाइजर, विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर कई महीनों से फंसे हुए हैं। विभाग का कहना है कि योग्य विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में फेलोशिप राशि का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है, लेकिन कुछ मामलों में अभ्यर्थियों के आवेदन लंबित होने के कारण उनको समय पर फेलोशिप की राशि नहीं मिल पा रही है।

कहां और किस स्तर पर अटके हैं आवेदन: उच्च शिक्षा परिषद की ओर से विश्वविद्यालयों को भेजी गई सूची के अनुसार, कुल 62 शोधार्थियों के आवेदन अलग-अलग स्तरों पर लंबित पाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक मामले शोध गाइड के स्तर पर अटके हुए हैं। गाइड/सुपरवाइजर के स्तर पर रांची विश्वविद्यालय में सर्वाधिक मामले लंबित हैं। यहां डॉ प्रीमा कुमारी, डॉ केएएन शाहदेव (3 मामले), डॉ रॉबर्ट प्रदीप कुजूर, डॉ ममता केरकेट्टा, डॉ अर्चना कुमारी दुबे, डॉ पूनम निगम सहाय (2 मामले), डॉ नीरज, डॉ थॉमस डुंगडुंग, डॉ आरके शर्मा और डॉ अजय कुमार आदि गाइडों के पास आवेदन लंबित पड़े हैं। कोलहान विश्वविद्यालय में- डॉ राजीव कुमार और डॉ दीपक मिंज के स्तर पर, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू में- डॉ ऋचा सिंह के स्तर पर, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में- डॉ अजय शुक्ला (2 मामले) और श्वेता मरांडी के स्तर पर च विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में- डॉ कृष्णा कुमार गुप्ता, डॉ अमित कुमार सिंह, डॉ मिथिलेश कुमार सिंह और डॉ संध्या कुमारी के स्तर पर आवेदन लंबित हैं। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में- डॉ कृति निगम के स्तर पर पर मामला लंबित है।

विभाग ने सभी संबंधित सभी: विश्वविद्यालयों को पत्र के माध्यम से कहा है कि वे संलग्न सूची के आधार पर अपने-अपने विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों व प्राध्यापकों को लंबित आवेदनों के निपटारे के निर्देश।

विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष के स्तर पर लंबित मामलों की स्थिति

विभागाध्यक्ष के स्तर पर लंबित मामलों में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि में प्रो धर्मेंद्र कुमार सिंह के पास, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि में डॉ खालिद महबूब खान के पास, रांची विश्वविद्यालय में प्रो बसंती रेणु हेम्ब्रम, डॉ तरुण चक्रवर्ती व अवध बिहारी महतो के स्तर पर, सरला बिरला विवि में डॉ मुकेश बाबू गुप्ता के पास, विनोबा भावे विवि में डॉ मृदुला भारती (2 मामले), डॉ अनामिका के स्तर पर मामले लंबित हैं। वहीं, विवि प्रशासन के स्तर पर लंबित मामलों में रांची विश्वविद्यालय में डॉ ममता केरकेट्टा, डॉ कांति कुमारी, प्रो रामजय नायक, डॉ बलबीर केरकेट्टा, डॉ स्मिता किरण टोप्पो, डॉ बंदे खाल्खो, डॉ मधुलिका वर्मा, डॉ मोहम्मद रिज़वान अली और डॉ किरण कुमारी से संबंधित शोधार्थियों के आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर पर लंबित हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में डॉ अशोक राम, डॉ लाडली कुमारी, डॉ आतिश रंजन, डॉ श्वेता सिंह, डॉ बलवंती मिंज और डॉ शत्रुघ्न कुमार पांडेय (2 मामले) के संबंधित आवेदन विश्वविद्यालय स्तर पर अटके हैं।

कैंपस 30s

डीएवी हेहल में शुक्रवार को डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-3 का शुभारंभ करते अतिथि।

डीएवी हेहल में राज्यस्तरीय स्पोर्ट्स शुरू

रांची। डीएवी हेहल में राज्यस्तरीय डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-3 का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। मुख्य अतिथि जेओए के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे और प्राचार्य सह एआरओ (जोन जी) विपिन राय ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। डीएवी नीरजा सहाय की प्राचार्या किरण यादव, एसआर डीएवी के प्राचार्य तापस घोष, बुबुन शरण तथा डीएवी आनंद स्वामी की प्राचार्या डॉ. रेशु चौधरी उपस्थित थीं। प्रतियोगिता में 1500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, समापन कल होगा।

योगदा सत्संग कॉलेज में शुक्रवार को स्नातक सत्र 2026-2030 के विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

योगदा सत्संग कॉलेज में 'दीक्षारंभ' कार्यक्रम

रांची। योगदा सत्संग कॉलेज में शुक्रवार को स्नातक सत्र 2026-2030 के विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अश्विनी सक्सेना ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कॉलेज के अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉ. जयेंद्र कुमार, एनसीसी अधिकारी डॉ. अभिषेक पांडेय, एनएसएस पदाधिकारी डॉ. श्वेता सिंह व प्रॉक्टर डॉ. संजय कुमार ने छात्रों को परीक्षा व गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

आईएसएम पुंदाग में लोक संगीत का बिखरा रंग

रांची। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट (आईएसएम), पुंदाग में शुक्रवार को 'मल्हार-सावन उत्सव' का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने लोक-संस्कृति, संगीत और भारतीय परंपराओं पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। संस्थान के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। निदेशक डॉ. गंगा प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. ज्योति, परियोजना निदेशक डॉ. कुमार विनय मोहन, शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

आज सजेगी 'रिदम भजन जैमिंग' की महफिल

रांची। डंगराटोली स्थित स्वर्णभूमि बैंक्वेट हॉल में शनिवार रात सात बजे से 'रास एंड रिदम भजन जैमिंग' का आयोजन किया जाएगा। माहेश्वरी महिला समिति व माहेश्वरी युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम में नेपाल से आए जैमर्स कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में भक्ति संगीत के साथ फूड प्लैटर की भी व्यवस्था है। इसके लिए 700 रुपये का सशुल्क पंजीकरण रखा गया है, जिसके तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पास दिए जा रहे हैं।

शोध परियोजनाओं में रांची विवि के चार प्रस्ताव स्वीकृत

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से 26.45 लाख रुपये की राशि मिली

- पहली परियोजना के तहत खनन प्रभावित जल से भारी धातुएं हटाई जाएंगी
- कीटों के अध्ययन और बायोरिसॉर्बेबल स्कैफोल्ड पर काम करेंगे वैज्ञानिक
- एनआईटी के साथ मुख कैंसर व कीमोथेरेपी पर शोध होगा

> प्रतिस्पर्धी शोध परियोजनाओं के लिए शिक्षकों की ओर से सफलतापूर्वक प्रस्ताव प्रस्तुत करना विश्वविद्यालय में विकसित हो रही शोध और नवाचार की सशक्त संस्कृति का परिचायक है। उपरियोजना अप्रैजल समिति की इस वर्ष 4-5 जून, को हुई बैठकों की अनुशंसा के आलोक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। - प्रो. सरोज शर्मा, कुलपति, आरयू

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद (जेसीएसटीआई), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न शैक्षणिक और शोध संस्थानों की 45 शोध परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 19 अगस्त को जारी स्वीकृत्यादेश के तहत रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध शोधकर्ताओं की चार शोध परियोजनाओं को कुल 26.45 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थानों को छोड़कर राज्य के सामान्य विश्वविद्यालयों में स्वीकृत परियोजनाओं की राशि के लिहाज से रांची विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राशि मिली है।

चार स्वीकृत परियोजनाएं: स्वीकृत परियोजनाओं में झारखंड में खनन प्रभावित जल से भारी धातु निष्कासन के लिए इंजीनियर्ड नैनोकंपोजिट/सामग्री का विकास, विषय शामिल है। इसमें मुख्य अन्वेषक मारवाड़ी कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के शिवनंदन राम हैं और विवि के स्नातकोत्तर रसायनशास्त्र विभाग की डॉ स्मृति सिंह सह-अन्वेषक हैं। दूसरी शोध परियोजना में रसायन शास्त्र विभाग के डॉ नीरज सह-अन्वेषक हैं। इसके मुख्य अन्वेषक एनआईटी जमशेदपुर के रसायन शास्त्र विभाग के डॉ तितास कुमार मुखोपाध्याय हैं। परियोजना में मुख कैंसर के प्रोटीन लक्ष्यों का इन-सिलिको अध्ययन और झारखंड में सुरक्षित लक्षित कीमोथेरेपी के लिए न्यून-आयामी नैनोकैरियर की डिजाइन रणनीति पर काम होगा।

वहीं, एक अन्य परियोजना में रांची विवि के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग के डॉ आनंद कुमार ठाकुर मुख्य अन्वेषक हैं। परियोजना में झारखंड के रांची पठार के कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र में मकरंद-भक्षी निशाचर परागणकर्ता कीटों की विविधता, पारिस्थितिक नेटवर्क, कार्यात्मक भूमिका और आंत्र माइक्रोबायोटा का अध्ययन किया जाएगा। एक अन्य परियोजना में जंतु विज्ञान विभाग के डॉ रोहित श्रीवास्तव सह-अन्वेषक हैं। मुख्य अन्वेषक एनआईएएमटी, रांची के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के डॉ रविंदर पाल सिंह हैं।

परियोजना में ऑर्थोपेडिक अनुप्रयोगों के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से ग्राफीन आधारित बायोरिसॉर्बेबल कंपोजिट स्कैफोल्ड का निर्माण और प्रायोगिक अध्ययन किया जाएगा।

बिहार सरकार

निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, –सह–पीठासीन पदाधिकारी, कोर्ट नं0–05,औरंगाबाद

अतिआवश्यक सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

एतद द्वारा निम्नलिखित वाहन मालिकों/भूमि मालिकों/संबंधितों को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस/उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन के आरोप में आपके वाहन के जप्त कर अधिहरण हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अधिहरण वाद संधारित है। वादी नोटिस प्राप्त करने के बावजुद उपस्थित नहीं हुए है जिसके कारण अत्पाद अधिहरण वाद में अग्रेत्तर कारवाई में विलम्ब हो रहा है साथ ही साथ सभी वाहन/भूमि मकान मालिकों को मधनिषेध अधिनियम 2022 की नियम 12(क) के तहत वाहन स्वामी से प्रपत्र 4 में आवेदन प्राप्त कर कलक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आदेशित शास्ति/वाहन का नवीनतम बीमाकृत मूल्य का 10 प्रतिशत या पाँच लाख के अन्दरपेनाल्टी के भुगतान पर जप्त वाहन एवं नियम 12(ख)के तहत भू स्वामी से प्रपत्र 5 में आपेदन प्राप्त कर कलक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आदेशित शास्ति के भूगतान नर जप्त/सिल परिसर को छोडने का प्रावधान है, जिसकी सुनवाई की तिथि 03.09.2026 में निर्धारित की गई है।

अधिहरण हेतु वाहन/भूमि मकान की सूची निम्न प्रकार है:–

क्र0 स0	उत्पाद अधिहरण वाद संख्या	थाना काण्ड सं0/उत्पाद संख्या	वहन स्वामी/भूमि स्वामी का पूर्ण पता	जब्त वाहन का निबंधन संख्या/भूमि का खाता, प्लौट संख्या
1	वाद सं0–99/26	जम्होर सदर उत्पाद थाना काण्ड सख्या 87/26	योगेन्द्र पासवान, पिता–सोखिया पासवान, ग्राम–नेवरी विकास विद्यालय कांके, थाना+जिला–राँची (झारखण्ड)	ग्लैम्बर मोटरसाईकिल निबंधन सं0 JH01BX-2325 एवं मोटरसाईकिल निबंधन संख्या– BR26V-6575 के मालिक गुमनाम
2	वाद सं0–66/26	मुफ्फसिल सदर उत्पाद थाना काण्ड सख्या 108/26	सूर्याभूषण, पिता–इन्द्रभुषण सिंह, ग्राम–हरियाजम षिव मंदिर के पास थाना– हरियाजम, जिला–धनबाद (झारखण्ड)	फोर्ड ईको स्पोर्ट कार निबंधन सं0–JH05AW-7345

अतः आप अथवा वाद से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति जिनका कोई हित निहित हो उपर्युक्त निर्धारित तिथि को न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे अथवा अपने उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय सुनवाई कर नियमानुसार वाद का निष्पादन कर दिया जायेगा।

निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
–सह–
पीठासीन पदाधिकारी, उत्पाद न्या0 कोर्ट न0–05, औरंगाबाद

PR. No. 010306 (Excise) 2026-27

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची।
जिला कृषि कार्यालय, कोडरमा।
कृषकों के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना।

किसान समृद्धि योजना (सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पम्पसेट पर 90 प्रतिशत तक अनुदान)
जिला कोडरमा के इच्छुक एवं पात्र कृषकों को सूचित किया जाता है कि किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित सिंचाई इकाई की स्थापना हेतु 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। शेष 10 प्रतिशत अंशदान कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।

उपलब्ध पम्पसेट क्षमता **0.5 HP/ 1 HP/ 2 HP**

इस योजना के माध्यम से कृषकों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर सिंचाई लागत को कम करने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
योजना का लाभ लेने हेतु :–
इच्छुक कृषक निर्धारित पोर्टल पर CSC द्वारा या स्वयं ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ निर्धारित पात्रता एवं विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
इच्छुक कृषक आवेदन एवं योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अपने प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक (BTM)/सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM) से संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाइट
https://ksy.jharkhand.gov.in
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :–
जिला कृषि पदाधिकारी, कोडरमा।
तथा संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ BTM / ATM
कृषक भाई बहन योजना का लाभ उठाएं एवं सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को अपनाएं।

जिला कृषि पदाधिकारी, कोडरमा, झारखण्ड।

PR 388065 Agriculture(26-27)D

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड, राँची

ई–अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या	ई–निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय	तकनीकी भाग खोलने का स्थान, तिथि एवं समय
NIT No.PHQ 06 /2026-27	दिनांक–20.08.2026 से 07. 09.2026 तक, समय 17:00 बजे	पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची का सभागार कक्ष में दिनांक–08.09.2026 को समय 17:00 बजे

1. केवल ई–निविदा हीं स्वीकार की जाएगी।
2. अग्रधन की राशि केवल ऑनलाईन बैंकिंग/आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से हीं ली जाएगी।
3. अग्रधन की राशि का ई–भुगतान जिस खाता से किया जाएगा उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी जवाबदेही निविदादाता की होगी।
4. विभाग किसी भी असफल लेनदेन/भुगतान में विफलता या अमान्य बोली के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
5. भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद यदि बोलीदाता ने बोली जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की या बोली को फ्रीज नहीं किया, तो ऐसी बोली अमान्य मानी जाएगी।
6. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट https://jharkhandtenders.gov.in एवं झारखण्ड पुलिस के वेबसाईट https://www.jhpolice.gov.in में देखा जा सकता है।

पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजन), झारखण्ड, राँची

PR 388073 Police(26-27)#D

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं सीए: प्रो. मनोहर

- डीएसपीएमयू में करियर काउंसिलिंग पर सत्र
- कॉमर्स के छात्रों को मिले सफलता के गुरुमंत्र

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के कॉमर्स विभाग की ओर से शुक्रवार को विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसिलिंग का आयोजन किया गया। आईसीएआई, रांची शाखा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कुलपति प्रो राजीव मनोहर व सीए अनीश जैन मौजूद थे।

कुलपति प्रो राजीव मनोहर ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे सिर्फ खातों के जांच करनेवाले पेशेवर नहीं होते है, बल्कि आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता और राष्ट्र निर्माण के प्रमुख स्तंभ है। आईसीएआई, रांची शाखा के अध्यक्ष सीए अनीश जैन, सीए अभिषेक केडिया और सीए हरदीप कौर ने विद्यार्थियों को सीए कोर्स, उसकी उपयोगिता और करियर संभावनाओं के संबंध में जानकारियां दीं। इस दौरान वाणिज्य विभाग के समन्वयक डॉ जीसी बास्के सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। संचालन डॉ चाहत आजम, आकाश कुमार व अंकिता सिंह ने किया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ROSARB राँची
तृतीय तल, एल एम स्क्वायर, सुजाता चौक, मेन रोड, राँची - 834001, झारखंड

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संगठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम- 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय का ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणी(यों), बंधककर्ता(र्ों) तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित बंधक / प्रभारित अचल संपत्ति प्रतिभूत ऋणदाता के कब्जे में है, जिसका **"जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणकर्ताओं / बंधककर्ता / जमानतदार / सुरक्षित संपत्ति / बकाया राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवर्णित है :

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ज्ञात अदिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है	कुल बकाया राशि/ ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय	आरक्षित मुल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
01	**मेसर्स आर एस एंटरप्राइजेज** बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, रातू रोड, रांची, हेसल, रांची, झारखंड - 834001 **श्री राजीव कुमार सिंह (प्रोपराइटर),** फ्लैट नं. 401, ब्लॉक B, वेस्ट विंड अपार्टमेंट, हेहल, रांची, झारखंड - 834005 **जमानतदार : 1. श्रीमती सुनीता सिंह,** पति श्री राजीव कुमार सिंह, फ्लैट नं. 401, ब्लॉक B, वेस्ट विंड अपार्टमेंट, हेहल, रांची, झारखंड - 834005 **2. श्री प्रवीण अग्रवाल,** पिता श्री नंद किशोर अग्रवाल, 23 राम इकबाल पथ सुखदेव नगर, पीपल के पेड़ के पास, हेहल, रांची, झारखंड - 834005	**1.** आवासीय फ्लैट संख्या 203, दूसरी मंजिल, माप 1250 वर्ग फीट यानी 116.12 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र), भवन का नाम "किरण अपार्टमेंट", सर्वे प्लॉट संख्या 497, सब-प्लॉट संख्या 497/A1, A-II, A-III, 497 A-C और 497-B1, खाता संख्या 01, स्थित मौजा- हेसल, थाना- सुखदेवनगर, थाना संख्या 2023, वार्ड संख्या 33, जिला- रांची, झारखंड। जिसकी **सीमाएं निम्न प्रकार हैं :** पूर्व: साइड सेट बैक, पश्चिम: फ्लैट संख्या 204, उत्तर: लिफ्ट पैसेज, फ्लैट संख्या 202, दक्षिण: फ्रंट सेट बैक क्षेत्र **2.** आवासीय फ्लैट संख्या 401, चौथी मंजिल, ब्लॉक-B, G+4 मंजिला बहुमंजिला आवासीय परिसर "वेस्ट विंड अपार्टमेंट", सर्वे प्लॉट संख्या 74, स्थित मौजा- हेहल, थाना- सुखदेवनगर, थाना संख्या 203, वार्ड संख्या 35, जिला- रांची, झारखंड। फ्लैट का सुपर बिल्ट-अप एरिया (super built-up area) 1902 वर्ग फीट है, साथ ही 1.74 डिसमिल भूमि और कार पार्किंग क्षेत्र शामिल है। जिसकी **सीमाएं निम्न प्रकार हैं :** पूर्व: कॉरिडोर, पश्चिम: भवन का फ्रंट सेट बैक, उत्तर: उसी भवन का ब्लॉक-A, फ्लैट संख्या 202, दक्षिण: भवन का साइड सेट बैक	₹ 2,04,37,252.84/- + दिनांक 01.07.2026 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित	रु. 40,80,600/- / रु. 4,08,600/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** 01.09.2026 से 22.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक
			23.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक	रु. 73,44,000/- / रु. 7,34,400/- / रु. 10,000/-	
02	**श्रीमती सुदर्शना नाथ शरण, पति श्री संजय कुमार** फ्लैट नं. 4-F, चौथी मंजिल, ब्लैक डायमंड पैलेस, गांधीनगर, कांके रोड, DAV स्कूल के पास, कांके - 834008	संपत्ति के सभी भाग, जिसमें फ्लैट संख्या 4E, चौथी मंजिल, ब्लैक डायमंड पैलेस शामिल है, जो ग्राम मिसिरगोंदा, थाना गोंडा, थाना संख्या 191, जिला रांची, झारखंड, पिन-834008 में स्थित है, जो खाता संख्या 317, आर.एस. प्लॉट संख्या 1366 (अंश) के तहत सुदर्शना नाथ शर्मा के स्वामित्व में है, जिसका क्षेत्रफल 972 वर्ग फीट है, साथ ही 397 वर्ग फीट (0.91 डिसमिल के बराबर) भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, एक पार्किंग स्पेस 4/E, होल्डिंग संख्या 231/A-1, वार्ड संख्या 02 के अंतर्गत आता है। जिसकी **सीमाएं निम्न प्रकार हैं :** उत्तर: खुला आकाश, दक्षिण: फ्लैट संख्या 4/D, पूर्व: कॉरिडोर, उसके बाद फ्लैट संख्या 4/F, पश्चिम: खुला आकाश	₹ 25,65,871/- + दिनांक 30.05.2025 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित	रु. 37,34,000/- / रु. 3,73,400/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** 01.09.2026 से 22.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक
			23.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक		

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल **https://baanknet.com** देखें।
इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर **7542032124** पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : राँची
दिनांक: 21.08.2026

ह0/- प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा, ROSARB राँची

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

e-Procurement Cell
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT
BUILDING DIVISION NO. – 1, RANCHI
(Behind State Guest House Morhabadi) Dindayal Nagar Booty Road Ranchi-834008

VERY SHORT TERM E-QUOTATION INVITATION NOTICE FOR RATE PURPOSE ONLY
Quotation Reference No: BCD/Bld. Div. No.- 1 --- 15/2026-27

Sealed Quotations are invited for the work (**1) Installation of New Lift in Main Building at Civil Court, Ranchi (2) Installation of New Lift in C.B.I. Building at Civil Court, Ranchi** or all Materials from Reputed Shop Keepers/ Manufacturers / Suppliers / Retailers / Distributors and Registered B.C.D. Contractors for following items. They should quote their rates for unit mentioned in the table. If they do not deals all of the below mentioned items then they are allowed to quote their rate for part of the items which ever they deals. The rates should be exclusive of all types of Taxes, GST, Contractor's Profit and overhead charges etc. but inclusive of Royalty. All Rates should be exclusive of Labour Cess.

Terms and Condition
1. The quotationer shall furnish Pan, GST registration no.
2. The rate quoted by quotationer shall be firm and final.
3. The undersigned reserves the right to accept or reject/cancel any or all quotations without assigning any reason thereof.

नोट :– (1) वेबसाईट में ई–कोटेशन अपलोड की अंतिम तिथि : 29-08-2026 के अपराह्न 1:00 बजे तक।
(2) ई–कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय 31-08-2026 अपराह्न 1:30 बजे।
(3) ई–कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–1, राँची।
(4) ई–कोटेशन प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0 : 8527519262
विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

Nodal Officer, e-Procurement Cell,
Office of the Executive Engineer
Building Construction Department, Building Division No.-1, Ranchi

PR.NO.388105 Building(26-27):D

बाजार की जरूरतों से जुड़े अनुसंधान: प्रो. मेधेकर

रांची, विशेष संवाददाता। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) के अर्थशास्त्र व विकास अध्ययन विभाग तथा अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसर्च इनिशिएटिव 2.0' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

अध्यक्षता कुलपति प्रो. सारंग मेधेकर ने की। कार्यक्रम में सीयूजे के शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. सारंग मेधेकर ने अकादमिक जगत और वित्तीय बाजार के बीच निरंतर संवाद की जरूरत रेखांकित की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से शोध को बाजार की वास्तविक व्यावहारिक जरूरतों से जोड़ा जा सकता है, जिससे शोधार्थियों को प्रामाणिक आंकड़ों की उपलब्धता और उनके बेहतर विश्लेषण में मदद मिलेगी। अकादमिक व अनुसंधान डीन प्रो. मनोज कुमार और सामाजिक विज्ञान स्कूल की डीन डॉ. संहिता सुचरिता ने भी विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला।

पहले तकनीकी सत्र की अध्यक्षता आईक्यूएसी निदेशक प्रो तपन बसंतिया ने की। मुख्य वक्ता एनएसई के अर्थशास्त्री डॉ. तीर्थंकर पटनायक थे।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, चतरा
(समाज कल्याण शाखा)

–: आम सूचना :–

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड रॉची के संकल्प संख्या–2033 दिनांक–05.09.2022, संकल्प ज्ञापांक–344 दिनांक–13.02.2023 एवं संकल्प संख्या–3217 दिनांक–20.12.2023 में निहित शर्तों के आलोक में ''सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना'' संचालित है। जिसमें राज्य के सरकारी/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/Nationl Child Labour Project (NCLP) के अन्तर्गत संचालित/झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित विद्यालयों में कक्षा–08 से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी अर्हत्ताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 08वीं से 12वीं एवं 18–19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरी बालिका